

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00425

दिनांक 01.05.2018

सेवा में

श्री भजनलाल, पुत्र - श्री चुन्नीराम ढाका,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

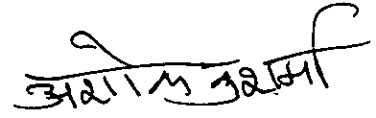
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 17.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 24.04.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 126093) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 25.04.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्ति हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है । इस संदर्भ में सूचना अधिकार नियम, 2012 (RTI Rules, 2012) की धारा 5 का अवलोकन करें जिसकी सत्यापित प्रति इस संलग्न है तथा आम नागरिकों के लिए http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf सहित पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में भी आसानी से उपलब्ध है ।
-------------	---

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

संलग्नक - सूचना अधिकार नियम, 2012 (RTI Rules, 2012) की प्रति ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690